रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012026-269709
CG-DL-E-31012026-269709

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947
No. 76] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 77(अ).— विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण नियम, 2025 का एक प्रारुप, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), में तारीख 17 सितंबर, 2025 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें उससे प्रभावित होने वाले संभाव्य सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 17 सितम्बर, 2025 को उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार ने सम्यक्र रूप से विचार किया है।

अतः, अब विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम, 2025 (2025 का 17) की धारा 4 और धारा 5 के साथ पठित धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है,अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण नियम, 2026 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम, 2025 (2025 का 17) अभिप्रेत है;

(ख) "विमानपत्तन" से विमानों के लिए उतरने और उड़ान भरने का क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें सामान्यत: रनवे, विमान रखरखाव और यात्री सुविधाएं होती हैं और जिसके अंतर्गत भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 2 के खंड (1) में यथा परिभाषित विमानपत्तन भी आता है;

(ग) "संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) अभिप्रेत है;

(घ) "अभिसमय" से अधिनियम की पहली अनुसूची में दिए अनुसार 16 नवम्बर, 2001 को केपटाउन में हस्ताक्षरित मोबाइल उपकरण में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर अभिसमय अभिप्रेत है;

(ङ) "सूचना प्रणाली" से इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित सूचना को बनाए रखने, अद्यतन करने और मिलान करने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अभिप्रेत है;

(च) "प्ररूप" से इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) "प्रोटोकॉल" से विमान उपकरण से संबंधित विनिर्दिष्ट विषयों पर मोबाइल उपकरण में अंतरराष्ट्रीय हितों पर अभिसमय के लिए प्रोटोकॉल अभिप्रेत है जिस पर 16 नवम्बर, 2001 को केप टाउन में हस्ताक्षर किए गए थे, जैसा कि इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची में दिया गया है;

(ज) "समाधान वृतिक" का दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 5 के खंड (27) में यथा परिभाषित अर्थ है;

(झ) "पणधारी" से इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' में निर्दिष्ट हितधारक से है;

(ञ) "प्रतीक्षा अवधि" का अर्थ इन नियमों के नियम 11 में यथा-निर्दिष्ट अनुसार होगा।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु अधिनियम, अभिसयम या प्रोटोकॉल में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम, अभिसयम या प्रोटोकॉल में उनके हैं।

3. अभिसमय के अधीन गैर- सहमति वाले अधिकार या हित – (1) अधिनियम की अनुसूची में यथा निर्दिष्ट, अभिसमय के अनुच्छेद 40 के अधीन गैर-सहमति वाले अधिकार या हित के प्रवर्गों के लिए अधिकार या हित, उस विमान वस्तु के संबंध में अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्री के साथ गैर-सहमति वाले अधिकारों या हितों के तौर पर रजिस्टर किए जाएंगे:

परंतु कि अभिसमय के अनुच्छेद 39 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन भारत द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ये नियम एयरलाइन कर्मचारियों के असंदत्त मजदूरी के अधिकार या हित को सीमित या प्रभावित नहीं करेंगे।

4. रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा निदेश- (1) रजिस्ट्री प्राधिकारी, प्रारूप से प्रभावित होने वाले संभाव्य सभी व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने हेतु इसे अपनी वेबसाइट पर चौदह दिनों की अवधि के लिए रखने के पश्चात, अधिनियम की धारा 4 के अधीन निदेश जारी कर सकता है:

परंतु कि महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय लोक हित में और लिखित आदेश के द्वारा, ऐसी आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की अपेक्षा को समाप्त कर सकते हैं या ऐसी आपत्तियाँ और सुझाव प्रस्तुत करने की अवधि को कम कर सकते हैं।

(2) उप-नियम (1) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक निदेश का उस व्यक्ति या अस्तित्व द्वारा अनुपालन किया जाएगा, जिसे ऐसा निदेश जारी किया गया है।

5. रजिस्ट्री प्राधिकरण के कृत्य -- (1) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, रजिस्ट्री प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य निष्पादित करेगा, अर्थात: -

(क) सूचना प्रणाली को स्थापित, अनुरक्षित और अद्यतन करना; और

(ख) ऐसे कृत्यो से उद्भूत दूसरे विषय।

(2) सूचना प्रणाली का निर्माण विमान-वस्तु-दर-विमान-वस्तु आधार पर किया जाएगा।

(3) सूचना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री में अभिलिखित अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हित के सृजन या उसकी प्राथमिकता को प्रभावित नहीं करेगा।

6. रजिस्ट्री प्राधिकरण को विमान वस्तु पर हित की सूचना- (1) किसी विमान वस्तु को परिचालित करने वाले किसी भी देनदार को, जहाँ ऐसी विमान वस्तु किसी अंतर्राष्ट्रीय हित के अध्यधीन है, भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (वर्ष 2024 का 16) या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उस विमान वस्तु के रजिस्ट्रीकरण के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्री प्राधिकारी को विमान वस्तु पर ऐसे हित की सूचना प्रदान करेगा:

परंतु कि जहाँ भारत में रजिस्ट्रीकृत या परिचालित कोई भी विमान वस्तु इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख पर अंतर्राष्ट्रीय हित के अध्यधीन है, देनदार ऐसे प्रारंभ से छह मास के भीतर अंतर्राष्ट्रीय हित के बारे में रजिस्ट्री प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(2) इन नियमों से संलग्न प्रारूप-I में उप-नियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर रजिस्ट्री प्राधिकरण, भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विमान को सौंपे गए भारतीय राष्ट्रीयता रजिस्ट्रीकरण चिह्न के माध्यम से ऐसी विमान वस्तु की पहचान करेगा।

7. विमान वस्तु पर बकाया राशि के अभिलेखों का अनुरक्षण और तथा प्रस्तुतीकरण – (1) किसी विमान वस्तु का परिचालन करने वाला कोई भी देनदार, जहाँ वह विमान वस्तु किसी अंतर्राष्ट्रीय हित के अध्यधीन है, वह विमान वस्तु के स्वामी या प्रचालक द्वारा स्वामित्व या उपयोग के संबंध में उद्भूत, उससे संबंधित या देय राशि के अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखरखाव करेगा और उसे रजिस्ट्री प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(2) देनदार आवधिक रूप से इन नियमों के परिशिष्ट-'क' में दिए उपबंधित अनुसार रजिस्ट्री प्राधिकरण के पास देय राशि अनुरक्षित और प्रस्तुत कराएगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन निर्दिष्ट अनुरक्षण और प्रस्तुतीकरण, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात आने वाले कैलेंडर मास के पाँचवें दिन तक अनुरक्षित और प्रस्तुत किया जाएगा और जब तक वह विमान वस्तु भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधो के अधीन भारत में रजिस्ट्रीकृत रहती है, तब तक उसका अनुरक्षण और प्रस्तुतीकरण जारी रहेगा।

(4) इस नियम के अधीन सूचना, सूचना प्रणाली में इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप-II में जमा की जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा जब कभी आवश्यक हो, देनदार इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत करेगा।

8. सूचना प्रणाली तक पहुँच – विनिर्दिष्ट विमान वस्तु के संबंध में सूचना प्रणाली, पणधारी और लेनदार के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुगम्य होगी।

9. व्युतपन्न होने पर रजिस्ट्री प्राधिकरण को सूचना देना – (1) कोई भी लेनदार अभिसमय या प्रोटोकॉल के अधीन कोई भी उपचार करने से पहले सूचना प्रणाली में प्ररूप- में व्युतपन्न होने की सूचना रजिस्ट्री प्राधिकरण को देगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्ररूप-III में आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्री प्राधिकरण उसी कार्य दिवस पर पावती स्वीकार करेगा।

(3) रजिस्ट्री प्राधिकरण, अभिसमय या प्रोटोकॉल के अधीन किसी उपचार के प्रयोग के लिए अधिनियम के उपबंधो से संगत प्रक्रिया और रीति के लिए निदेश जारी कर सकता है।

10. पणधारियो को सूचना - (1) नियम 9 के उप-नियम (2) के अधीन पावती के पश्चात, रजिस्ट्री प्राधिकरण अगले कार्य दिवस की समाप्ति से पूर्व अपनी वेबसाइट पर प्रकाशन के माध्यम से पणधारियो और देनदार को विमान वस्तु से संबंधित व्युत्पन्न के घटित होने के संबंध में सूचित करेगा।

(2) देनदार तथा पणधारी, सूचना प्रणाली में इन नियमों में संलग्न अनुसार, बकाया देय राशि का ब्यौरा क्रमशः प्ररूप-II तथा प्ररूप-IV में, रजिस्ट्री प्राधिकरण को तीन कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

11. दिवाला की दशा में 'प्रतीक्षा अवधि' के दौरान प्रक्रिया - (1) जहां कोई देनदार संहिता के अधीन कॉर्पोरेट दिवाला या शोधन अक्षमता कार्यवाही के अध्यधीन है, संहिता की धारा 14 के अधीन अधिस्थगन, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से आरंभ होगा और दो कैलेंडर मास के अंत में अवसान हो जाएगा, और इसे इन नियमों के अधीन 'प्रतीक्षा अवधि' कहा जाएगा।

(2) अभिसमय या प्रोटोकॉल के अधीन मान्यताप्राप्त किसी भी उपचार को प्रतीक्षा अवधि के अवसान के पश्चात रोका या निर्बंधित नहीं किया जाएगा।

(3) प्रतीक्षा अवधि के दौरान, समाधान वृत्तिक, –

(क) विमान वस्तु को संरक्षित करेगा और लेनदार और देनदार के बीच अंतर्निहित संविदा के अनुसार उसके मूल्य को बनाए रखेगा, और

(ख) लेनदार को विमान वस्तु तक पहुँच, और उससे संबंधित सभी तकनीकी और अनुरक्षित अभिलेखों, तथा उस विमान वस्तु की भौतिक सुरक्षा पर सूचना उपलब्ध कराएगा।

(4) यथास्थिति देनदार या समाधान वृत्तिक, विमान वस्तु पर कब्ज़ा बनाए रख सकता है, यदि प्रतीक्षा अवधि के अवसान से पूर्व दिवाला कार्यवाही की शुरु होने से उद्‌भूत होने वाले व्युत्पन्नों से भिन्न सभी व्युत्पन्न ठीक कर दिए गए हैं और समाधान वृत्तिक लेनदार के साथ पट्टे या सुरक्षा करार के अधीन सभी भावी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए सहमत हो गया है।

(5) प्रतीक्षा अवधि के अंत में, प्रोटोकॉल के अनुच्छेद IX के खंड (1) के अधीन उपचार का प्रयोग करने के लिए लेनदार से आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्री प्राधिकरण भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई करेगा।

(6) देनदार और लेनदार के बीच किसी करार को उस लेनदार की सहमति के बिना उपांतरित नहीं किया जाएगा:

परंतु कि उप-नियम (6) का यदि संहिता के अधीन समाधान वृत्तिक के करार को समाप्त करने के प्राधिकार, यदि कोई हो, को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा।

(7) उप-नियम (3) का खंड (क) विमान वस्तु को संरक्षित करने तथा उसके मूल्य को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई व्यवस्था के अधीन विमान वस्तु के उपयोग को नहीं रोकेगा।

12. गैर-न्यायिक उपचार - अभिसमय के अनुच्छेद 54 के खंड (2) के अधीन भारत द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, अभिसमय के अनुच्छेद 8 के खंड (1) के उप-खंड (क) या अनुच्छेद 10 के खंड (क) के अधीन उपचारों के लिए, किसी विमान वस्तु का कब्ज़ा या नियंत्रण लेने हेतु, रजिस्ट्री प्राधिकरण, अधिनियम के उपचारों के संगत, लेनदार द्वारा ऐसे उपचारों का लाभ उठाने की रीति को अवधारित करने का निदेश जारी करेगा।

13. विमान का रजिस्ट्रीकरण रद्द करना और निर्यात - रजिस्ट्री प्राधिकरण, भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 या उसके अधीन बनाए गए के नियमों अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुच्छेद XIII के अधीन उपचार के लिए लेनदार द्वारा किए गए आवेदन पर कार्रवाई करेगा।

14. विमान के निर्यात से पूर्व आईडीईआरए धारक द्वारा देय राशि का निपटान - नियम 9 के अधीन रजिस्ट्री प्राधिकरण को सूचना देने के पश्चात परिशिष्ट 'क' में देय राशि का संदाय और निपटान, आईडीईआरए धारक द्वारा भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार भारत से विमान के निर्यात की अनुमति देने से पूर्व किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इन नियमों के प्रयोजनों हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि,

(1) "आईडीईआरए" से अप्रतिसंहरणीय रजिस्ट्रीकरण की वापसी तथा निर्यात अनुरोध प्राधिकार से अभिप्रेत है, जिसका उपयोग प्रोटोकॉल उपबंधों के अधीन किसी विमान का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने तथा निर्यात करने के लिए किया जाएगा; तथा

(2) "आईडीईआरए धारक" से आईडीईआरए के अधीन प्राधिकृत पक्ष या उसके प्रमाणित पदनामित व्यक्ति से है।

परिशिष्ट-क

[नियम 7 देखें]

किसी विमान वस्तु पर देय राशि के संवर्ग:

(क) विमानपत्तन प्रचालक प्रभार जिसके अंतर्गत लैंडिंग प्रभार, हाउसिंग प्रभार और पार्किंग प्रभार आते हैं

(ख) मार्ग दिक्चालन और सुविधा प्रभार

(ग) टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग प्रभार

(घ) लोक सेवा के रूप में ईंधन प्रभार

(ङ) पट्टे पर देने या वित्तपोषण के संबंध में संदेय माल और सेवा कर

परिशिष्ट- ख

[नियम 2 (i) (ब) देखें]

पणधारियों के संवर्ग:

(क) विमानपत्तन प्रचालक

(ख) वायु दिक्चालन सेवा प्रदाता

(ग) माल और सेवा कर प्राधिकरण

(घ) परिशिष्ट-क के खंड (ङ) के अधीन आने वाले विमान वस्तु से संबंधित देय राशि के लिए ईंधन प्रदाता।

परिशिष्ट ग

प्ररूप-I

सूचना प्रणाली में विमान वस्तुओं की सूचना के लिए आवेदन

अनुभाग 1 – विमान वस्तुओं का ब्यौरा		
क्र.सं.	**रजिस्ट्रीकरण चिह्न**	**वीटी -**
1.	विनिर्माता का नाम और पता	
2.	विमान वस्तु का प्रकार और मॉडल	
3.	विमान वस्तु के विनिर्माता की क्रम संख्या	
4.	इंजन के प्रकार और मॉडल	
5.	लेनदार का नाम और **रजिस्ट्री**कृत पता	
6.	देनदार का नाम और **रजिस्ट्री**कृत पता	
7.	कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उस वस्तु में या उस पर अधिकार हो (बंधकदार)	

अलुभ्ररग 2 प्राधिकृत व्यक्ति या उसके प्रमाणित पद नामिती व्यक्ति का ब्यौरा

आवेदक : (कृपया समुचित बॉक्स पर टिक करें)

*प्राधिकृत पक्ष ☐   * **प्रमाणित** नामिती व्यक्ति ☐

****इसके प्रमाणित पदनामिती व्यक्ति के लिए प्राधिकरण पत्र।***

नाम :		हस्ताक्षर :
पता		
ई-मेल		
दूरभाष		

अनुभाग 3— केवल रजिस्ट्री प्राधिकारी के शासकीय उपयोग के हेतु	
नाम :	पदनाम :
तारीख :	हस्ताक्षर :

प्ररूप –II

ऋणी द्वारा देय की रिपोर्टिंग के लिए प्रारूप

[नियम 10 देखें]

क. लेनदारों/पट्टाकर्ता/ऋणी का विवरण			
स्वामी का नाम	पता	राष्ट्रीयता	व्यवसाय का मुख्य स्थान
पट्टाकर्ता/लेनदार का नाम	पता	राष्ट्रीयता	व्यवसाय का मुख्य स्थान
पट्टाकर्ता/लेनदार का नाम	पता	राष्ट्रीयता	व्यवसाय का मुख्य स्थान

ख. विमान वस्तु ब्योरे	
रजिस्ट्रीकरण चिह्न	
विमान का प्रकार और मॉडल	
विमान विनिर्माता की क्रम संख्या	
इंजन का मॉडल	
इंजन विनिर्माता की क्रम संख्या	1. 2. 3. 4.

ग. मास/वर्ष के अंत में विमान/वस्तु के लिए बकाया देयता का सार		
क्र.सं.	प्रवर्ग	रकम (रु.)
1.	विमानपत्तन प्रचालक के प्रभार में लैंडिंग प्रभार, हाउसिंग प्रभार और पार्किंग प्रभार सम्मिलित हैं।	
2.	मार्ग दिक्चालन और सुविधा प्रभार	
3.	टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग प्रभार	

4.	उस विमान वस्तु के संबंध में लोक सेवा के रूप में ईंधन प्रभार	
5.	उस विमान वस्तु के पट्टे या वित्तपोषण के संबंध में संदेय माल और सेवा कर	
कुल बकाया रकम (रु.)		

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	:	
पदनाम	:	
संगठन का नाम	:	
तारीख और स्थान	:	

प्ररूप- III

विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण अधिनियम, 2025 (2025 का 17) के अधीन उपचार करने के लिए लेनदारों के लिए आवेदन

[नियम 9 देखें]

खंड 1 – विमान का ब्यौरे		
क्र.सं.	रजिस्ट्रीकरण चिह्न	**वीटी-**
1.	विमान निर्माता का नाम और पता	
2.	विमान का प्रकार और मॉडल	
3.	विमान के विनिर्माता की क्रम संख्या	
4.	इंजन के प्रकार और मॉडल	
5.	लेनदार का नाम और रजिस्ट्रीकृत पता	
6.	ऋणी का नाम और रजिस्ट्रीकृत पता	

<table>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">कोई अन्य व्यक्ति जो उस चीज़ पर या उस पर अधिकार रखता हो (बंधकदार)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">मांगे गए उपचार का विवरण</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">खंड 2 आवेदक का विवरण</td></tr>
<tr><td colspan="5">आवेदक : (कृपया सही बॉक्स पर टिक करें)
आईडीईआरए धारक ☐ *व्यक्ति ☐ *प्रमाणित नामिती ☐
*आईडीईआरए धारक से प्राधिकरण पत्र प्राधिकृत व्यक्ति या उसके व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td colspan="2">नाम :</td><td></td><td colspan="2">हस्ताक्षर :</td></tr>
<tr><td colspan="3">पता</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">ई-मेल</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">दूरभाष</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">खंड 3— केवल रजिस्ट्री प्राधिकारी आधिकारिक उपयोग के लिए</td></tr>
<tr><td colspan="3">नाम :</td><td colspan="2">पदनाम :</td></tr>
<tr><td colspan="3">तारीख :</td><td colspan="2">हस्ताक्षर :</td></tr>
</table>

प्ररूप - IV

पणधारी द्वारा बकाया रकम का दावा करने के लिए प्रारुप

[*नियम 10 देखें*]

क. पणधारी की विशिष्टियाँ			
पणधारी का नाम	पता	राष्ट्रीयता	व्यवसाय का मुख्य स्थान
पट्टाकर्ता का नाम	पता	राष्ट्रीयता	व्यवसाय का मुख्य स्थान

ख. विमान वस्तु विवरण	
रजिस्ट्रीकरण चिह्न	
विमान का प्रकार और मॉडल	
विमान विनिर्माता का क्रम संख्या	
इंजन का प्रकार और मॉडल	
इंजन निर्माता का क्रम संख्या	1. 2. 3. 4.

ग. दावा किया गया बकाया रकम			
क्र.सं.	प्रवर्ग	रकम (रु.)	अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री के साथ रजिस्ट्रीकृत है या नहीं
1.	विमानपत्तन प्रचालक के प्रभार में लैंडिंग प्रभार, हाउसिंग प्रभार और पार्किंग प्रभार सम्मिलित हैं।		
2.	मार्ग दिक्चालन और सुविधा प्रभार		
3.	टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग प्रभार		

4.	उस विमान वस्तु के संबंध में लोक सेवा के रूप में ईंधन प्रभार		
5.	उस विमान वस्तु के पट्टे या वित्तपोषण के संबंध में देय माल और सेवा कर		
कुल बकाया रकम (रु.)			

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम :

पदनाम :

संगठन का नाम :

तारीख और स्थान :

[फा. सं. एवी-11012/4/2020-ए-एमओसीए-भाग (1)]

असंगबा चुबा आओ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2026

G.S.R. 77(E).— Whereas, a draft of the Protection of Interests in Aircraft Objects Rules, 2025, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 17th September, 2025 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date of publication of the said notification;

And whereas copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 17th day of September, 2025;

And whereas the objections and suggestions on the said draft rules received from the public have been duly considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 10 read with sections 4 and 5 of the Protection of Interests in Aircraft Objects Act, 2025 (17 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely: –

1. Short-title and commencement. – (1) These rules may be called the Protection of Interests in Aircraft Objects Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) "Act" means the Protection of Interests in Aircraft Objects Act, 2025 (17 of 2025);

(b) "airport" means a landing and taking off area for aircraft, usually with runways and aircraft maintenance and passenger facilities and includes aerodrome as defined in clause (1) of section 2 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024);

(c) "Code" means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);

(d) "Convention" means the Convention on International Interests in Mobile Equipment, signed at Cape Town on 16th November, 2001, as set out in the First Schedule to the Act;

(e) "Form" means a form appended in Appendix 'C' to these rules;

(f) "Information System" means an electronic system for maintaining, updating and collating information as required under these rules;

(g) "Protocol" means the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment signed at Cape Town on 16th November, 2001, as set out in the Third Schedule to this Act;

(h) "resolution professional" shall have the meaning as defined in clause (27) of section 5 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);

(i) "stakeholder" means the stakeholder as referred to in Appendix 'B' to these rules;

(j) "waiting period" shall have the meaning as referred to in rule 11 of these rules.

(2) The words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act, Convention or Protocol, shall have the meanings assigned to them in the Act, Convention or Protocol.

3. Non-consensual rights or interests under the Convention. — (1) The right or interest for categories of non-consensual right or interest under Article 40 of the Convention, as referred to in Second Schedule to the Act shall be registrable as registrable non-consensual rights or interests in respect of that aircraft object with the international registry:

Provided that these rules shall not limit or affect the right or interest of unpaid wages of airline employees as per declaration deposited by India under sub-clause (a) of clause (1) of Article 39 of the Convention.

4. Directions by registry authority. — (1) The registry authority may issue direction under section 4 of the Act, after placing the draft on its website for a period of fourteen days for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby:

Provided that the Director General, Directorate General of Civil Aviation may, in the public interest and by order in writing, dispense with the requirement of inviting such objection and suggestions or reduce the period for submitting such objections and suggestions.

(2) Every direction issued under sub-rule (1) shall be complied with by the person or entity to whom such direction is issued.

5. Functions of the registry authority. — (1) For the purposes of these rules, the registry authority shall perform the following functions, namely: –

(a) to establish, maintain and update the Information System; and

(b) other matter arising out of such functions.

(2) The Information System shall be structured on an aircraft-object-by-aircraft-object basis:

(3) The Information System shall not affect the creation of international interest or its priority as recorded in the international registry.

6. Information of interest on an aircraft object to registry authority. - (1) Any debtor operating an aircraft object, where such aircraft object is subject to an international interest, shall inform such interest on aircraft object to the registry authority within thirty days of registration of that aircraft object under the provisions of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024) or rules made thereunder:

Provided that where any aircraft object registered or operated in India is subject to an international interest as on date of commencement of these rules, the debtor shall inform the registry authority of the international interest within six months from such commencement.

(2) Upon receiving an information under sub-rule (1) in Form-I appended to these rules, the registry authority shall identify such aircraft object through the Indian nationality registration mark assigned to the aircraft in its Certificate of Registration as issued by the Directorate General of Civil Aviation in accordance with the rules made under the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam,2024.

7. Maintenance and submission of records of dues on an aircraft object. – (1) Any debtor operating an aircraft object, where that aircraft object is subject to an international interest, shall electronically maintain records of dues arising from, related to or owed in regard to the ownership or use by the owner or operator of the aircraft object and submit to the registry authority.

(2) The debtor shall periodically maintain and submit the dues, as provided in Appendix- 'A' to these rules, with the registry authority.

(3) The maintenance and submission referred to under sub-rule (2), shall be maintained and submitted not later than the fifth day of the calendar month following the end of each quarter and shall continue to be maintained and submitted as long as that aircraft object remains registered in India under the provisions of Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 or any rules made thereunder.

(4) The information under this rule shall be submitted in Form-II appended to these rules in the Information System.

Explanation: For the purposes of this rule, it is hereby clarified that the debtor shall, as and when required by the registry authority, furnish the information specified under these rules.

8. Access to the Information System. – The Information System shall be electronically accessible in respect of the specific aircraft object to the stakeholder and the creditor.

9. Information to registry authority of occurrence of default. – (1) A creditor before exercising any remedy under the Convention or Protocol shall inform the registry authority of the occurrence of default in Form- III in the Information System.

(2) Upon receipt of the application in Form- III under sub-rule (1), the registry authority shall acknowledge the receipt on the same working day.

(3) The registry authority may issue directions for the procedure and manner, consistent with the provisions of the Act, for exercising any remedy under the Convention or Protocol.

10. Notice to stakeholders. – (1) After the acknowledgement under sub-rule (2) of rule 9, the registry authority shall inform the stakeholders and debtor the occurrence of default in respect of the aircraft object, through publication on its website before the end of the next working day.

(2) The debtor and stakeholders shall submit the details of outstanding dues, within three working days to the registry authority, in Form-II and Form-IV, respectively, as appended to these rules in the Information System.

11. Procedure during the 'waiting period' in case of insolvency. – (1) Where a debtor is subject to corporate insolvency or bankruptcy proceedings under the Code, the moratorium under section 14 of the Code shall commence on the insolvency commencement date and shall expire at the end of two calendar months, and be called the 'waiting period' under these rules.

(2) No remedy recognised under the Convention or Protocol shall be prevented or restricted after the expiry of the waiting period.

(3) During the waiting period, the resolution professional, shall, –

(a) preserve the aircraft object and maintain its value in accordance with the underlying contract between a creditor and a debtor, and

(b) provide creditor with access to the aircraft object, and all technical and maintenance records relating to, and information on the physical security of, that aircraft object.

(4) The debtor or the resolution professional, as the case may be, may retain possession of the aircraft object if, before the expiry of the waiting period, all defaults other than those arising from the initiation of insolvency proceedings have been cured, and the resolution professional has agreed to perform all future obligations under the lease or security agreement with the creditor.

(5) At the end of the waiting period, upon receipt of an application from the creditor for exercising a remedy under clause (1) of Article IX of the Protocol, the registry authority shall take appropriate action in accordance with the provisions of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 or the rules made thereunder.

(6) An agreement between the debtor and creditor, shall not be modified without the consent of that creditor:

Provided that sub-rule (6) shall not be construed to affect the authority, if any, of the resolution professional under the Code to terminate the agreement.

(7) Clause (a) of sub-rule (3) shall not preclude the use of the aircraft object under arrangements designed to preserve the aircraft object and maintain its value.

12. Non-Judicial remedies. — In accordance with the declaration made by India under clause (2) of Article 54 of the Convention, for remedies, under sub-clause (a) of clause (1) of Article 8 or clause (a) of Article 10 of the Convention, taking possession or control of an aircraft object, the registry authority shall issue direction determining the manner of availing such remedies by a creditor, consistent with the provisions of the Act.

13. De-registration and export of aircraft. — The registry authority shall, in accordance with the provisions of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 or rules made thereunder, take action on an application made by the creditor for a remedy under Article XIII of the Protocol.

14. Settlement of dues by IDERA Holder prior to export of aircraft. — Dues in Appendix 'A', arising after the information to the registry authority under rule 9, shall be paid and settled by the IDERA Holder before the aircraft is permitted to be exported from India in accordance with the provisions of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 or the rules made thereunder.

Explanation: For the purposes of these rules, it is hereby clarified that, –

(1) "IDERA" means the irrevocable deregistration and export request authorisation to be used for getting an aircraft deregistered and exported under the provisions of the Protocol; and

(2) "IDERA Holder" means the authorised party under an IDERA or its certified designee.

Appendix-A

[*See rule 7]*

Categories of dues on an aircraft object:

(a) Airport operator charges including landing charges, housing charges and parking charges

(b) Route Navigation and Facilitation Charges

(c) Terminal Navigation Landing Charges

(d) Fuel charges as a public service

(e) Goods and service tax payable in respect of the leasing or financing

Appendix- B

[*See rule 2(i)(w)*]

Categories of stakeholders:

(a) Airport operators

(b) Air navigation service provider

(c) Goods and services tax authority

(d) Fuel providers for dues relating to the aircraft object covered under clause (e) of Appendix- A.

Appendix C

Form- I

Application for Information of Aircraft Object in Information System

SECTION 1 – Aircraft Object Details		
SN.	Registration Mark	**VT-**
1.	Name and address of Manufacturer	
2.	Type and Model of Aircraft Object	
3.	Manufacturer's serial number of Aircraft Object	
4.	Type and Model of Engines	
5.	Name and registered address of Creditor	
6.	Name and registered address of Debtor	

7.	Any other person having right in or over the object (mortgagee)	

SECTION 2 ***Authorised Person or its certified designee details***			
The applicant is: (Please tick the appropriate box) *Authorised Party ☐ **** Certified Designee*** ☐ ****Authority letter for its certified designe***e.			
Name:		Signature:	
Address			
Email			
Telephone			
SECTION 3— Registry authority Official use only			
Name:		Designation:	
Date:		Signature:	

Form -II

Format for Reporting Dues by Debtor

[*See rule 10*]

A. Particulars of Creditor(s) / Lessor(s)/Debtor			
Name of Owner	Address	Nationality	Principal Place of Business
Name of Lessor/Creditor	Address	Nationality	Principal Place of Business
Name of Lessee/Debtor	Address	Nationality	Principal Place of Business

B. Aircraft Object Details	
Registration Mark	
Type and Model of Aircraft	
Aircraft Manufacturer's Serial Number	
Model of Engine	
Engine Manufacturer's Serial Number	1. 2. 3. 4.

C. SUMMARY OF OUTSTANDING DUES for the Aircraft/object at the end of MM/YYYY		
Sl.No.	Category	Amount (Rs.)
1.	Airport operator charges including landing charges, housing charges and parking charges.	
2.	Route Navigation and Facilitation Charges	
3.	Terminal Navigation Landing Charges	
4.	Fuel charges as a public service in respect of that aircraft object	
5.	Goods and service tax payable in respect of the leasing or financing of that aircraft object	
Total Outstanding Amount (Rs.)		

Name of Authorised person :

Designation :

Organisation Name :

Date & Place :

Form- III

Application for creditors to exercise remedy under the Protection of Interests in Aircraft Objects Act, 2025 (17 of 2025)

[*See rule 9*]

SECTION 1 – Aircraft Details		
SN.	Registration Mark	**VT-**
1.	Name and address of Aircraft Manufacturer	
2.	Type and Model of Aircraft	
3.	Manufacturer's serial number of Aircraft	
4.	Type and Model of Engines	
5.	Name and registered address of Creditor	
6.	Name and registered address of Debtor	
7.	Any other person having right in or over the object (mortgagee)	
8.	Details of remedy sought	

SECTION 2 Details of applicant

The applicant is: (Please tick the appropriate box)

IDERA Holder ☐ *Authorised Party ☐ ***Certified Designee*** ☐

****Authority letter from IDERA Holder must be submitted by Authorised person or its certified designe***e.

Name:		Signature:
Address		
Email		
Telephone		

SECTION 3— Registry authority for Official use only	
Name:	Designation:
Date:	Signature:

Form- IV
Format for Claiming Outstanding Dues by Stakeholder
[*See rule 10*]

A. Particulars of Stakeholder			
Name of Stakeholder	Address	Nationality	Principal Place of Business
Name of Lessee/Debtor	Address	Nationality	Principal Place of Business

B. Aircraft Object Details	
Registration Mark	
Type and Model of Aircraft	
Aircraft Manufacturer's Serial Number	
Engine Type & Model	
Engine Manufacturer's Serial Number	1. 2. 3. 4.

C. OUTSTANDING DUES Claimed			
Sl.No.	Category	Amount (Rs.)	Whether Registered with International Registry or Not
1.	Airport operator charges including landing charges, housing charges and parking charges.		
2.	Route Navigation and Facilitation Charges		
3.	Terminal Navigation Landing Charges		
4.	Fuel charges as a public service in respect of that aircraft object		
5.	Goods and service tax payable in respect of the leasing or financing of that aircraft object		
Total Outstanding Amount (Rs.)			

Name of Authorised person :

Designation :

Organisation Name :

Date and Place :

[F. No. AV-11012/4/2020-A-MOCA-Part(1)]

ASANGBA CHUBA AO, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA